15/10/25— आज पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष० उपस्थित आये वकील पक्ष० को बहस अंतिम सुनी गई वादीगण का वाद स्वीकार किया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. मि. हो। पत्रावली फैसल शुमार ही नम्बर से कम हो। बाद तामील जिला लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
38/24	18/03/24	15/10/25

// उनवान //

1. रतिराम पुत्र चिरंजीलाल
2. दीपक पुत्र श्री होशियार नाबालिग जरिये माता खुद रजनेश पत्नि होशियार
3. प्रिया पुत्री होशियार
4. पूजा पुत्री होशियार
5. रजनेश पत्नि होशियार जातियान जाट निवासियान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. सुशन पुत्रान श्री दुर्गा
3. सरजीत पुत्र श्री मामचन्द
4. राजेश पुत्री मामचन्द
5. सनीता पुत्री मामचन्द
6. नीरज पुत्री श्रीराम
7. सरोज पत्नि श्रीराम
8. संगीता
9. खामोश
10. टनिता पुत्रीयान श्रीराम
11. हरमीत
12. अनूप पुत्रान श्री गिरवर
13. सन्नी पुत्री गिरवर
14. प्रभू पुत्र श्री श्योसहाय
15. संतोष
16. ममता पुत्रीयान वीरसिंह
17. सावित्री पत्नि मुकेश
18. निखिल
19. विवेक पुत्रान श्री मुकेश जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
20. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

निर्णय दिनांक :– 15/10/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 174/0.62 हैक्0, 705/0.10 हैक्0, 713/0.19 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, आराजी वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण को अपने आला मौरूसी चिरंजीलाल से प्राप्त हुई है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण आज भी काबिज है वादीगण से पूर्व वादीगण के पूर्वज काबिज आराजी रहे है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना ही प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कोई सम्बन्ध व सरोकार रहा है।
5. यह है कि आराजी मुतनाजा एवं ग्राम नंगली औझा के अन्य आराजीयात में भी गलत इन्द्राजात बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गा, मामाचन्द, श्रीराम पुत्रान टोडिया एवं प्रभु पुत्र श्योसहाय, गिरवर पुत्र हरलाल जाट तथा लावल्द लावारिस फौत हुये गंगासहाय पुत्र रूडमल के नाम गलत रूप से शिकमी व बकाश्त के रूप में बेजा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून इन्द्राजात किये गये है जो हर जमाबन्दी में पुर्नावृति होती आ रही है। गंगासहाय पुत्र रूडमल के बारे में पूर्वजो से पूछ ताछ में पता चला कि उक्त व्यक्ति लावल्द व लावारिस अर्सा करीब 50 साल पूर्व फौत हो गया है जिसके कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम गिरवर भी काफी समय पूर्व फौत हो चुके है, वीरसिंह मृतक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 ल0 19 है। आराजी मृतक वीरसिंह से पूर्व में वादीगण ने खरीद की थी लेकिन इसके पश्चात भी मृतक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बेजा तौर पर इन्द्राज होते आ रहे है, आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी या इनके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही आज प्रतिवादी का आराजी से कोई सम्बन्ध है।
6. यह है कि आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम प्रतिवादी प्रभु का नाम एवं लावल्द लावारिस फौत हो चुके गंगासहाय पुत्र रूडमल का नाम बेजा तौर पर रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित हो रहे है आराजी को विक्रय करने व ऋण लेने आदि में बाधा आ रही है आराजी मुतनाजा के गैर काबिज गैरवास्ता व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित होते है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक आया है।
7. यह है कि आराजी कि आराजी वादीगण की खानदानी एवं कब्जेकाश्त की है राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी प्रभु एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम शिकमी आसामी व बकाश्त आसामी के रूप में इन्द्राज किये गये है जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है क्योंकि आराजी पर बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज वाले व्यक्ति आराजी पर कभी काश्त नहीं की है वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार व्यक्ति थे वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कृषि कार्य के सिवाय अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार नहीं था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को इस प्रकार दुरूस्त किया जावे कि राजस्व जमाबन्दी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज "अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 95, वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह" हो कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

8. यह है कि दिनांक 01.02.2024 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से इंकार कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

9. यह है कि यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है सुनने योग्य है।

10. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है सुनने योग्य है।

11. यह है कि दावा हाजा पर दो रूपये कोर्ट फीस चस्पा है।

12. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमाया जावे।

(अ) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 174/0.62 हैक्0, 705/0.10 हैक्0, 713/0.19 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व जमाबन्दी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज "अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 95, वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह" व "गिरवर पुत्र हरलाल जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट सा0 देह शिकमी साल 9.5" को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जोबनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 की तरफ से ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/8600 दिनांक 09.10.2025 में आराजी खसरा नम्बर 174, 705, 719 वाके ग्राम नंगलीऔझा पर वादीगण रतिराम पुत्र चिरंजीलाल , दीपक कुमार पुत्र होशियार सिंह , पूजा पुत्री होशियार सिंह, प्रिया पुत्री होशियार सिंह, रजनेश पत्नि होशियार सिंह जाति जाट निवासीयान नंगलीऔझा के द्वारा काश्त कार्य किया जा रहा है

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 रतिराम पुत्र श्री चिरंजीलाल , पीडब्लयू–2 धर्मसिंह पुत्र जग्गलराम , साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 174, 705, 719 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आराजी मुतनाजा एवं ग्राम नंगली औझा के अन्य आराजीयात में भी गलत इन्द्राजात बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गा, मामाचन्द, श्रीराम पुत्रान टोडिया एवं प्रभु पुत्र श्योसहाय, गिरवर पुत्र हरलाल जाट तथा लावल्द लावारिस फौत हुये गंगासहाय पुत्र रूडमल के नाम गलत रूप से शिकमी व बकाश्त के रूप में बेजा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून इन्द्राजात किये गये है जो हर जमाबन्दी में पुर्नावृति होती आ रही है। गंगासहाय पुत्र रूडमल के बारे में पूर्वजो से पूछताछ में पता चला कि उक्त व्यक्ति लावल्द व लावारिस अर्सा करीब 50 साल पूर्व फौत हो गया है जिसके कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम गिरवर भी काफी समय पूर्व फौत हो चुके है, वीरसिंह मृतक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 ल0 19 है। आराजी मृतक वीरसिंह से पूर्व में वादीगण ने खरीद की थी लेकिन इसके पश्चात भी मृतक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बेजा तौर पर इन्द्राज होते आ रहे है, आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी या इनके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा है ना

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

ही आज प्रतिवादी का आराजी से कोई सम्बन्ध है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम प्रतिवादी प्रभु का नाम एवं लावल्द लावारिस फौत हो चुके गंगासहाय पुत्र रूडमल का नाम बेजा तौर पर रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित हो रहे है आराजी को विक्रय करने व ऋण लेने आदि में बाधा आ रही है आराजी मुतनाजा के गैर काबिज गैरवास्ता व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित होते है। आराजी वादीगण की खानदानी एवं कब्जेकाश्त की है राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी प्रभु एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम शिकमी आसामी व बकाश्त आसामी के रूप में इन्द्राज किये गये है जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है क्योंकि आराजी पर बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज वाले व्यक्ति आराजी पर कभी काश्त नहीं की है वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार व्यक्ति थे वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कृषि कार्य के सिवाय अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार नहीं था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को इस प्रकार दुरूस्त किया जावे कि राजस्व जमाबन्दी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज "अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 95, वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह" व "गिरवर पुत्र हरलाल जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट सा0 देह शिकमी साल 9.5" हो कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे। प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 174/0.62 हैक्0, 705/0.10 हैक्0, 713/0.19 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व जमाबन्दी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज "अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 95, वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह" व "गिरवर पुत्र हरलाल जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट सा0 देह शिकमी साल 9.5" को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 174/0.62 हैक्0, 705/0.10 हैक्0, 713/0.19 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज **"अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 9.5 वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह"** व **"गिरवर पुत्र हरलाल जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट सा0 देह शिकमी साल 9.5" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
38/24	18/03/24	15/10/25

//उनवान//

1. रतिराम पुत्र चिरंजीलाल
2. दीपक पुत्र श्री होशियार नाबालिग जरिये माता खुद रजनेश पत्नि होशियार
3. प्रिया पुत्री होशियार
4. पूजा पुत्री होशियार
5. रजनेश पत्नि होशियार जातियान जाट निवासियान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

:– **वादीगण**

बनाम

1. भूपसिंह
2. सुशन पुत्रान श्री दुर्गा
3. सरजीत पुत्र श्री मामचन्द
4. राजेश पुत्री मामचन्द
5. सनीता पुत्री मामचन्द
6. नीरज पुत्री श्रीराम
7. सरोज पत्नि श्रीराम
8. संगीता
9. खामोश
10. टनिता पुत्रीयान श्रीराम
11. हरमीत
12. अनूप पुत्रान श्री गिरवर
13. सन्नी पुत्री गिरवर
14. प्रभू पुत्र श्री श्योसहाय
15. संतोष
16. ममता पुत्रीयान वीरसिंह
17. सावित्री पत्नि मुकेश
18. निखिल
19. विवेक पुत्रान श्री मुकेश जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
20. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: **प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मण्डावर (खैरथल–तिजारा)

—:पर्चा डिक्री:—

वादी की और से श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की और से श्री धर्मेन्द्र यादव की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 15.10.2025 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ है। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी कि जाती है।

हाल आराजी खसरा नम्बर 174 / 0.62 हैक्0, 705 / 0.10 हैक्0, 713 / 0.19 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज **"अ.वि.व दुर्गा, मामचन्द, श्रीराम पि0 टोडिया साकिन देह शिकमी साल 9.5 वीरसिंह उपरोक्तानुसार बकाश्त गंगासहाय पुत्र रूडमल जाट साकिन देह" व "गिरवर पुत्र हरलाल जाट सा0 देह शिकमीसाल 9.5 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट सा0 देह शिकमी साल 9.5" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाई गयी।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल—तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा0ट्र0)
मुण्डावर (खैरथल—तिजारा)